



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड
8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून।

Email: foodcommfcs@gmail.com

दूरभाष-0135-2740771

पत्रांक- 604 /आ०वि०शा०/अधि०/2018-19

दिनांक : 08 जून, 2018

-: आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 06.2018 के आधार पर श्री चन्द्रमोहन घिल्डियाल, वरिष्ठ विपणन अधिकारी का स्थानान्तरण आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड कार्यालय रिक्त पद के सापेक्ष किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन
- 2-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल, सम्भाग, देहरादून।
- 3-सम्बन्धित कार्मिक।
- 4-वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड
8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून।

Email: foodcommfcs@gmail.com

दूरभाष-0135-2740778

पत्रांक- 6DS /आ०वि०शा०/अधि०/2018-19

दिनांक : 08 जून, 2018।

-: आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 04.06.2018 के आधार पर श्री चन्द्रशेखर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, श्रीनगर गढ़वाल का स्थानान्तरण कुमायूँ सम्भाग के खटीमा केन्द्र पर किया जाता है।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून श्री चन्द्रशेखर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी को नवतैनाती केन्द्र हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्थानान्तरण श्री चन्द्रशेखर के स्वयं के प्रार्थना पर किया जा रहा है अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल, सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 3-सम्बन्धित कार्मिक।
- 4-वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड
8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून।

Email: foodcommfcs@gmail.com

दूरभाष-0135-2740778

पत्रांक-606 /आ०वि०शा०/अधि०/2018-19

दिनांक : 08 जून, 2018।

-: आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 04.06.2018 के आधार पर विपणन शाखा में कार्यरत निम्नलिखित विपणन निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नवतैनाती सम्भाग/केन्द्र पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० स० | कर्मचारी का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती सम्भाग/केन्द्र | नव तैनाती सम्भाग/केन्द्र |
|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 1. | श्री अभिनव काण्डपाल | विपणन निरीक्षक | गढ़वाल/सहसपुर | कुमायूँ सम्भाग/केन्द्र प्रभारी, गदरपुर |
| 2. | श्री राजेन्द्र प्रसाद कोटियाल | विपणन निरीक्षक | कुमायूँ/गदरपुर | गढ़वाल सम्भाग |
| 3. | श्री शाहिद हसन | विपणन निरीक्षक | कुमायूँ/काशीपुर | गढ़वाल सम्भाग |
| 4. | श्री कमल कुमार दुआ | विपणन निरीक्षक | कुमायूँ/गदरपुर | गढ़वाल सम्भाग/केन्द्र प्रभारी, सहसपुर |

2-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून उपरोक्त स्थानान्तरित विपणन निरीक्षकों/केन्द्र प्रभारियों को नवतैनाती केन्द्रों/सम्भागों हेतु तत्काल कार्यमुक्त करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किये जा रहे हैं फलस्वरूप स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल, सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 3-सम्बन्धित कार्मिक।
- 4-वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड

8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com

Phone -0135 2740765, Fax- 2741390

संख्या-609 /अधि0/237/2018

देहरादून

दिनांक

08 जून

2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आपूर्ति शाखा, में कार्यरत चयन समिति की संस्तुति दिनांक 04-06-2018 के क्रम में जनहित में निम्नलिखित जिला पूर्ति अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित वर्तमान तैनात स्थल से कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

| क्र०स० | अधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती |
|--------|--|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री मुकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी | जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय | जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल |
| 2 | सुश्री शिल्पी शुक्ला, जिला पूर्ति अधिकारी | जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय | जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली |
| 3 | श्री अरुण कुमार वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी | जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय | जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर |

2- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करते हुये तत्सम्बन्धी सूचना आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
- 3- आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी, चमोली तथा बागेश्वर।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, चमोली, तथा बागेश्वर।
- 6- सम्बन्धित अधिकारीगण।
- 7- गार्ड फाईल।



(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई0ए0एस0)



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों विभाग, उत्तराखण्ड

8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com

Phone -0135 2740765, Fax- 2741390

संख्या- 610 / अधि0/237/2018

देहरादून

दिनांक

08 जून

2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत आपूर्ति शाखा, में कार्यरत चयन समिति की संस्तुति दिनांक 04-06-2018 के क्रम में जनहित में निम्नलिखित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित वर्तमान तैनात स्थल से कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

| क्र०स० | अधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती |
|--------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री जसवंत सिंह कण्डारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी | क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (जिलापूर्ति अधिकारी, बागेश्वर का अतिरिक्त प्रभार) | क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पौड़ी (जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार) |
| 2 | श्री जगदीश वर्मा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी | क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (जिलापूर्ति अधिकारी, पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार) | क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अल्मोड़ा (जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा का अतिरिक्त प्रभार) |
| 3 | श्री महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी | क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चमोली | क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हरिद्वार |

2- उपरोक्त प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी को जिला पूर्ति अधिकारी के दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

3- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करते हुये तत्सम्बन्धी सूचना आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- उपरोक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है, जिस हेतु उक्त अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें मंत्री जी/मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार तथा पौड़ी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार तथा पौड़ी।
- 6- सम्बन्धित अधिकारीगण।
- 7- गार्ड फाईल।

(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड

8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com

Phone —0135 2740765, Fax- 2741390

संख्या- 611 /अधि0/237/2018

देहरादून

दिनांक

08 जून

2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आपूर्ति शाखा, में कार्यरत चयन समिति की संस्तुति दिनांक 04-06-2018 के क्रम में जनहित में निम्नलिखित पूर्ति निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित वर्तमान तैनात स्थल से कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

| क्र० सं० | नाम पूर्ति निरीक्षक | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती |
|----------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री धमेन्द्र सिंह धामी | बागेश्वर | ऊधमसिंहनगर |
| 2 | श्रीमती लीना चन्द्रा | बागेश्वर | ऊधमसिंहनगर |
| 3 | श्री विनोद चन्द्र तिवाड़ी | अल्मोड़ा | ऊधमसिंहनगर |
| 4 | श्री सुधीर त्रिपाठी | बागेश्वर | हरिद्वार |
| 5 | श्री शंकर सिंह भाकुनी | ऊधमसिंहनगर | उपायुक्त, कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी |
| 6 | श्री भूपेन्द्र सिंह कनवाल | पिथौरागढ़ | अल्मोड़ा |
| 7 | श्री रविन्द्र कुमार | पौड़ी | हरिद्वार |
| 8 | श्री योगेन्द्र सिंह परमार | पौड़ी | टिहरी |
| 9 | श्री देवेन्द्र सिंह नेगी | पौड़ी | टिहरी |
| 10 | श्री विजय प्रकाश बहुगुणा | उत्तरकाशी | टिहरी |
| 11 | श्री हरीश चन्द्र | चम्पावत | ऊधमसिंहनगर |

2- उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करते हुये तत्सम्बन्धी सूचना आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- उपरोक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है, जिस हेतु उक्त कार्मिकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें मंत्री जी/मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी तथा पौड़ी।
- 5- उपायुक्त, कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी तथा पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित कार्मिक।
- 8- गार्ड फाईल।


(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड

8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com

Phone -0135 2740765, Fax- 2741390

संख्या-612 /अधि0/237/2018

देहरादून

दिनांक

08 जून

2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आपूर्ति शाखा, में कार्यरत चयन समिति की संस्तुति दिनांक 04-06-2018 के क्रम में जनहित में निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित वर्तमान तैनात स्थल से कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

| क्र० स० | नाम पूर्ति निरीक्षक | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती |
|------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री देव सिंह | नैनीताल | अल्मोड़ा |
| 2 | श्री राकेश कुमार विश्वाकर्मा | चम्पावत | ऊधमसिंहनगर |

2- उपरोक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करते हुये तत्सम्बन्धी सूचना आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- उपरोक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है, जिस हेतु उक्त कार्मिकों कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
- 3- जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल, चम्पावत, अल्मोड़ा तथा ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, चम्पावत, अल्मोड़ा तथा ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक।
- 6- गार्ड फाईल।



(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड

8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com

Phone —0135 2740765, Fax- 2741390

संख्या-613 /अधि0/237/2018

देहरादून

दिनांक

08 जून

2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आपूर्ति शाखा, में कार्यरत चयन समिति की संस्तुति दिनांक 04-06-2018 के क्रम में जनहित में निम्न चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित वर्तमान तैनात स्थल से कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

| क्र० स० | नाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती |
|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती इन्द्रा देवी, चतुर्थ श्रेणी | बागेश्वर | पिथौरागढ़ |

2- उपरोक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुये तत्सम्बन्धी सूचना आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- उपरोक्त कार्मिक का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है, जिस हेतु उक्त कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें मंत्री जी/मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।
- 3- जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक।
- 6- गार्ड फाईल।

(रणवीर सिंह चौहान)

अपर आयुक्त (आई०ए०एस०)